

कृषक मजदूर

परिचय—

पिछले अध्याय में हमने बिहार के कृषि के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही साथ खाद्य पदार्थों के बारे में भी अध्ययन किया था। खासकर प्राकृतिक आपदा जैसे: अकाल, बाढ़, महामारी एवं भूकंप के समय खाद्य पदार्थों की कैसे आपूर्ति किया जाए? इसका उपाय हमने देखा था।

अब हम इस अध्याय में खाद्य पदार्थ किसके द्वारा उत्पादन की जाती है अर्थात् कृषक मजदूर के बारे में पढ़ेंगे। बिहार के कृषक तथा बिहार के कृषक मजदूरों के बीच कौन-सी समस्याएँ हैं तथा इसका समाधान कैसे किया जाएगा? इन बातों का भी विशेष अध्ययन करेंगे।

बिहार जैसे राज्य के लिए जब कृषि के समय विभिन्न प्रकार की बेकारी उत्पन्न होती है तो उस समय हमारे कृषक मजदूर रोजी-रोटी के तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। पलायन के समय उन्हें कितने तरह की पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को झेलना पड़ता है, इन बातों का भी अध्ययन इस अध्याय में विस्तार पूर्वक करेंगे।

उद्देश्य :

बिहार में कृषक मजदूर की जीवन-लीला पढ़ने योग्य है। बदलते मौसम के कारण कृषक मजदूर भी अपने आपको बदल डालते हैं। इस बदलाव का क्या कारण है? यह जानना हमारा मुख्य उद्देश्य है। कृषक मजदूर की दयनीय अवस्था का समाधान करना भी हमारा मुख्य लक्ष्य है। भारत तथा बिहार सरकार के द्वारा इन मजदूरों के लिए समय-समय पर कौन-सी कल्याणकारी योजना चलायी गयी है एवं चलायी जा रही है? इन सब पर भी प्रकाश डालना हमारे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है।

कृषक मजदूर :

बच्चो! इस चित्र के द्वारा कृषक मजदूर को समझने का प्रयास करेंगे।

चित्र : 6.1



खेत में धान की रोपनी करते कृषक मजदूर

हम देख रहे हैं कि इस चित्र 6.1 में कुछ ग्रामीण महिलाएँ एक साथ मिलकर धान रोपनी का काम कर रही हैं। ये सारी महिलाएँ कृषक मजदूर के रूप में अपने-अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए बड़े किसानों के खेत में काम कर रही हैं। अर्थात् ये ऐसे कृषक मजदूर हैं जो बिल्कुल ही **भूमिहीन** हैं जिनकी बाध्यता है कि ये मजदूरी करके ही पेट का पालन करें।

इसलिए कृषक मजदूर को समझना नितांत आवश्यक है। भारत की कुल आबादी का 64 प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्र में लगी हुई हैं। इसमें से 75 प्रतिशत आबादी कृषक मजदूर के रूप में हैं। **ग्रामीण ऋणग्रस्तता** के कारण कृषक मजदूर की आर्थिक दशा काफी **दयनीय** है।

कृषि श्रमिक

प्रथम कृषि जाँच समिति के अनुसार— “कृषि श्रमिक वे लोग हैं, जो कृषि कार्य में लगे हैं और जो वर्ष भर में जितने दिन काम करते हैं, उसका आधा या आधे से अधिक भाग मजदूरी पर करते हैं। अतः वर्ष के आधे या उससे अधिक भाग तक मजदूरी के आधार पर जो व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हों, उन्हें कृषि-श्रमिक कहा जाएगा।”

कृषक मजदूर से हमारा मतलब गाँव में काम करने वाले उन लोगों से है जो कृषि के कार्य में मजदूर के रूप में काम करते हैं। 1950-51 की प्रथम कृषि श्रम-जाँच समिति के अनुसार कृषि श्रमिक वे लोग हैं, जो कृषि कार्य में लगे हैं और जो वर्ष में जितने दिन काम करते हैं, उसका आधा या आधे से अधिक भाग मजदूरी पर करते हैं। अतः वर्ष के आधे या उससे अधिक भाग तक मजदूरी के आधार पर जो व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हों, उन्हें कृषि-श्रमिक कहा जाएगा।

भारतीय ग्रामीण जनता का एक बड़ा भाग इन्हीं कृषक मजदूरों का है। जैसा कि **क्वेसने (Quesney)** ने कहा था कि— “**दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र देश**” यह कथन अन्य देशों में भले ही लागू न हो लेकिन भारत में अवश्य ही लागू होती है। जिस देश के किसान गरीब हैं वहाँ दूसरे के खेतों पर काम करके जीविका चलाने वाले मजदूरों की क्या दशा होगी? इसका अनुमान स्वयं लगाया जा सकता है। इन मजदूरों को **भरपेट भोजन** नहीं मिल पाता, पहनने के लिए **वस्त्र** नहीं हैं और रहने के लिए **आवास** नहीं है। भोजन, वस्त्र और आवास के अभाव में ये कृषक मजदूर, बेसहारा की जिन्दगी जीने को मजबूर हैं।

सामान्यतः कृषक मजदूर को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

(1) खेत में काम करने वाले मजदूर— जैसे हलवाहे, फसल काटने वाले आदि इन्हें पूर्ण रूप से कृषक मजदूर कहा जा सकता है जिसने अपने काम के क्रम में कुछ कुशलता प्राप्त कर ली है।

(2) कृषि से सम्बद्ध अन्य कार्य करने वाले मजदूर— जैसे कुआँ खोदने वाले, गाड़ीवान आदि। इन्हें अर्द्ध कुशल मजदूर कहा जा सकता है।

(3) वैसे मजदूर जो कृषि के अलावे अन्य सहायक उद्योगों में भी लगे हुए हैं— जैसे बढई, लोहार आदि। इन्हें ग्रामीण कलाकार भी कहा जा सकता है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग (National Labour Commission) ने कृषक मजदूरों को दो भागों में बाँटा है—

(1) भूमिहीन श्रमिक— ये ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती।

(2) बहुत छोटा किसान— ये ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास बहुत थोड़ी मात्रा में अपनी भूमि होती है। अतः ये अपना अधिकांश समय श्रमिकों के रूप में ही व्यतीत करते हैं। **तालिका 6.1** से स्पष्ट है कि बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या 1991 में 37.1 प्रतिशत थी वहीं पूरे

भारत में कृषक मजदूरों की संख्या 26.1 प्रतिशत थी। 2001 में जहाँ बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या 48 प्रतिशत थी वही पूरे भारत में कृषक मजदूरों की संख्या 26.5 प्रतिशत थी।

तालिका-6.1

कृषक मजदूरों का अनुपात

वर्ष	बिहार	भारत
1991	37.1%	26.1%
2001	48.0%	26.5%

स्रोत-बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07

बिहार में कृषक मजदूरों की

समस्याएँ- बिहार में एक तरफ जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषक मजदूरों की समस्या बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ इनकी दशा बहुत ही गिरी हुई तथा दयनीय है। बिहार के कृषक मजदूर काफी गरीब हैं। इनका सारा जीवन गरीबी, बेकारी, शोषण, उत्पीड़न तथा अनिश्चितता से भरा हुआ है। इनकी सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं है। कई स्थानों पर कृषक मजदूरों की दशा गुलामों जैसी पायी जाती है।

बिहार में कृषक मजदूरों की अनेक समस्याएँ हैं जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:-

कृषक मजदूरों की प्रमुख समस्याएँ

- कम मजदूरी
- मौसमी रोजगार
- काम के अधिक घंटे
- ऋणग्रस्तता
- निम्न जीवन स्तर
- आवास की समस्या
- बंधुआ मजदूर
- सहायक धंधों का अभाव
- संगठन का अभाव
- कृषि में मशीनीकरण से बेकारी
- निम्न सामाजिक स्तर

1. कम मजदूरी- बिहार में कृषक मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या कम मजदूरी दर है। विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इन मजदूरों के द्वारा अत्यधिक कार्य करने के बावजूद भी इन्हें मजदूरी बहुत ही कम दी जाती है। उनके पास चूँकि कोई वैकल्पिक साधन नहीं है इसलिए वे कम मजदूरी पर भी काम करने को मजबूर हैं।

2. मौसमी रोजगार— हमारे कृषक मजदूरों की मुख्य समस्या मौसमी रोजगार की है।

अर्थात् इन मजदूरों को पूरे वर्ष काम न मिलकर केवल कुछ समय के लिए ही किसी खास मौसम में काम मिल पाता है। अतः वे साल में कम से कम 4 महीने बेकार बैठे रहते हैं। इस तरह उन्हें बहुत बड़ी अवधि तक बेकारी तथा अल्प रोजगार का सामना करना पड़ता है।

3. काम के अधिक घंटे— बिहार में कृषक मजदूरों की एक बड़ी समस्या यह है कि

उनके कार्य के घंटे निश्चित नहीं हैं। ये 10 से 14 घंटे तक कार्य करते हैं और कभी-कभी तो उन्हें जब रात के समय चौकीदारी करनी पड़ती है तब पूरी 24 घंटे ही काम पर रहना पड़ता है।

4. ऋणग्रस्तता— बिहार में कृषक मजदूरों की मजदूरी कम होने के कारण वे सदा ही

ऋणग्रस्त रहते हैं। इसके चलते उन्हें महाजन या बड़े किसान की बेगारी करनी पड़ती है।

5. निम्न जीवन स्तर— कृषक मजदूरों का जीवन स्तर काफी निम्न है। उनकी मजदूरी

कम होने से ये रोटी, कपड़ा और मकान की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। दुःख की बात यह है कि इन्हें ठीक से दो जून की रोटी भी नहीं मिल पाती है। शरीर पर फटे-चिटे कपड़े होते हैं। मकान का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

6. आवास की समस्या— बिहार में कृषक मजदूरों की एक समस्या उनकी आवास

की भी है। ये मजदूर मालिक या ग्राम-समाज की भूमि पर उनकी अनुमति से एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये झोपड़ियाँ केवल ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मजदूर केवल पैर फैलाकर सो सकता है। इन झोपड़ियों में शुद्ध वायु एवं प्रकाश के लिए खिड़कियों का पता तक नहीं रहता। इसके लिए मजदूर एवं बच्चों का स्वास्थ्य स्तर धीरे-धीरे गिरता चला जाता है।

7. बंधुआ मजदूर— ऐसे कृषक मजदूर किसी ऋण के चलते मालिक के यहाँ आजन्म

या ऋण चुकता होने तक भोजन के बदले काम करते हैं। उनके काम में परिवार के अन्य सदस्य भी हाथ बँटाते रहते हैं जिन्हें कुछ मजदूरी दे दिया जाता है। ऐसे मजदूर **बंधुआ मजदूर** (Bonded Labour) कहलाते हैं। ये बंधुआ मजदूर भूमि के मालिकों से जुड़े रहते हैं और भूमि के मालिक उनका शोषण करते हैं।

8. सहायक धंधों का अभाव— गाँव में सहायक धंधों का अभाव है। यदि किसी

प्रकार गाँव में बाढ़, अकाल, सूखा आदि के कारण से फसल नहीं होती है तो कृषक मजदूर को जीवन-निर्वाह का अन्य कोई साधन नहीं मिल पाता जिसके चलते वे कर्ज में दिन-प्रति-दिन और ज्यादा डुबते चले जाते हैं।

9. संगठन का अभाव— बिहार में कृषक मजदूरों की एक अन्य समस्या उनके संगठन का अभाव है। कृषक मजदूर अशिक्षित, अज्ञानी, अंधविश्वासी होते हैं। संगठन के अभाव में उनमें **मेल-जोल** करने की क्षमता नहीं होती है। इसके चलते वे अपनी मजदूरी बढ़वाने, कार्य के घंटे नियमित कराने, बेगारी बंद कराने की आवाज तक उठा नहीं पाते।

10. कृषि में मशीनीकरण से बेकारी— बिहार में अब कृषि कार्यों में मशीनों का प्रयोग होने लगा है। कृषि में मशीनों के प्रयोग के चलते कृषक मजदूरों में बेकारी बढ़ती जा रही है। यह कृषक मजदूरों की एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

11. निम्न सामाजिक स्तर— बिहार में अधिकांश कृषक मजदूर अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के हैं जिनका सदियों से शोषण होता आ रहा है। इससे इनका सामाजिक स्तर निम्न कोटी का बना हुआ रहता है।

चित्र : 6.2



कृषक मजदूरों की दशा

चित्र 6.2 से बिहार में कृषक मजदूरों की अवस्था का पता चलता है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार के कृषक मजदूरों की हालत काफी **दयनीय** है।

कृषक मजदूरों के पलायन को प्रमुख लोकगीतकार भिखारी ठाकुर ने अपने लोकगीतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। उनके गीतों के कुछ छन्दों को बच्चों को समझने की दृष्टि से यहाँ देना उचित लगता है।

भिखारी ठाकुर के शब्दों में—
लागल झूलनिया के धक्का,
बलम गईलन कलकत्ता।

लोकगीतकार भिखारी ठाकुर ने यह समझाने का प्रयास किया था कि किस तरह बिहार के लोग काम की तलाश में बिहार से बाहर अन्य राज्यों खासकर पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पलायन करते थे। उस समय कलकत्ता जूट मिलों के लिए काफी प्रसिद्ध था। बिहारी कृषक मजदूर अधिक संख्या में वहाँ पलायन करते थे तथा नौकरी प्राप्त कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। आज भी पंजाब की कृषि की सफलता के पीछे बिहारी मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इसी प्रकार बिहार के कृषक मजदूर यहाँ से दूसरे देशों जैसे— मॉरिशस, त्रिनिदाद, युगाण्डा, नेपाल आदि देशों में भी काम की तलाश में पलायन करते थे और उन देशों में काम करते-करते अपनी योग्यता तथा कुशलता के बल पर काफी लोकप्रिय भी हुए। सर शिवसागर राम गुलाम का उदाहरण ताजा है। सर शिवसागर राम गुलाम मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्हें मॉरिशस का राष्ट्रपिता कहा जाता है। स्मरणीय है कि सर शिवसागर राम गुलाम अपने बिहार प्रांत के शाहाबाद (वर्तमान में भोजपुर) जिले के हैं और अपनी राजधानी पटना में अपने बिहार के सपूत के सम्मान में गाँधी मैदान के दक्षिणी छोर के सड़क का नामकरण सर शिवसागर राम गुलाम पथ रखा गया है।

होनहार बालक की कहानी

बिहार राज्य के आज के भोजपुर (आरा) जिले के एक छोटे से गाँव में जन्मा एक बालक यह नहीं समझा था कि उसका परिवार अपने बिहार प्रान्त और भारत देश का इतना सम्मान दिला पायेगा। यह कहानी **स्व० मोहित राम गुलाम की है।** यह होनहार बालक बड़ा होने पर रोजी-रोटी की तलाश करने लगा। गाँव में कृषि ही मुख्य पेशा थी। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उन्हें कुछ समय तक कृषक मजदूर के रूप में काम करना पड़ा था। लेकिन इससे उनका काम चलने वाला नहीं था। वे बाहर जाने के लिए विचार करने लगे। अंततः वे काम की तलाश में मॉरिशस के लिए प्रस्थान कर गए। मॉरिशस देश में जाकर वे काम करने लगे और वे मॉरिशस के एक छोटे से गाँव बेलेरिभे (Belle Rive) में अपने

परिवार के साथ रहने लगे। यह परिवार अपनी मेहनत, ईमानदारी तथा काम के बल पर पूरे मॉरिशस की जनता का प्रिय बन गया। **स्व० मोहित राम गुलाम के पुत्र के रूप में शिव सागर राम गुलाम का जन्म हुआ।** यह बालक तो और होनहार निकला। पढ़ाई हो या राजनीति सबमें श्रेष्ठ निकला। मॉरिशस का वह एक **लोकप्रिय नेता** बन गया। बाद में उन्हें **सर की उपाधि** दी गयी। अब वे **सर शिव सागर राम गुलाम** के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का श्रेय **सर शिव सागर राम गुलाम** को मिला। बच्चो ! आज जिस तरह से भारत में महात्मा गाँधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है ठीक उसी तरह **सर शिव सागर राम गुलाम** को मॉरिशस का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अपने पिता के विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए आज मॉरिशस का प्रधानमंत्री **श्री नवीन चन्द्र राम गुलाम सर शिव सागर राम गुलाम के सुपुत्र हैं।**

चित्र : 6.3



होनहार बालक
सर शिव सागर राम गुलाम

कृषक मजदूरों का पलायन—

इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार में कृषक मजदूरों की अनेक समस्याएँ हैं। उनकी स्थिति काफी दयनीय है। उनके सामने गरीबी, बेरोजगारी तथा भूखमरी की समस्याएँ उत्पन्न होती

चित्र : 6.4



काम धंधे की तलाश में पलायन करता एक परिवार

हैं। इसके कारण वे हीनभावना से ग्रसित हो जाते हैं। इन सब कारणों से वे रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। “पलायन” का अर्थ होता है रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाना। इधर देखने को मिला है कि बिहार के अधिकतर कृषक मजदूर पंजाब, हरियाणा, असम, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि की ओर पलायन कर रहे हैं। चित्र 6.4 से स्पष्ट हो जाता है कि काम धंधे की तलाश में किस तरह से एक परिवार पलायन कर रहा है।

इस पलायन को बिहार के कृषक-मजदूर अपने लिए हितकर मान रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उनके पलायन से बिहार में अनेक तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। एक तरफ बिहार में कृषि मजदूरों की संख्या में कमी हो रही तथा कृषि कार्य के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहारी कृषक मजदूरों का अन्य राज्यों में काफी शोषण हो रहा है। पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में बिहारी कृषक मजदूरों से अधिक घंटे तक काम कराया

जाता है। कुछ समय पहले की बात है कि वर्ष 2007 में असम में बिहारी मजदूरों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया गया था। कई मजदूरों की हत्या कर दी गई। इसके चलते बिहारी मजदूर बिहार की ओर आने लगे। इसी से मिलती-जुलती समस्या वर्ष 2008 में मुंबई की है। वहाँ भी बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की गई तथा उनकी हत्याएँ भी हुई। इसके चलते बिहारी मजदूर भयभीत होने लगे हैं। यह एक गंभीर समस्या बन गयी है।

चित्र : 6.5



कोसी में बाढ़ के चलते पलायन करते हुए मजदूर

इसी संदर्भ में वर्तमान में बिहार के आर्थिक विकास का कार्यक्रम सराहनीय है। मुम्बई में बिहारियों (जिन्हें उपेक्षा के रूप में 'भैया' कहा करते हैं) पर किये गए अत्याचार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का यह वक्तव्य काफी महत्व रखता है जिसमें उन्होंने कहा था—“जो भी बिहारी मजदूर अन्य राज्यों में चले गए हैं वे पुनः बिहार में चले आएँ। उन्हें काम की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार उनके साथ अच्छा वर्ताव करेगी।” इस वक्तव्य का असर अन्य राज्यों में रह रहे बिहारी मजदूरों पर गहरा पड़ा और वे अपनी जन्मभूमि की ओर लौटने लगे। खुशी की बात है कि अब कुछ दिनों में बिहार के मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगा।

पलायन का एक अन्य कारण प्राकृतिक प्रकोप भी है। बाढ़ तथा अकाल के चलते भी कृषक मजदूर पलायन करते हैं। हाल के कोशी बाढ़ ने तो बिहार की दशा ही बदल दी। चित्र 6.5 से स्पष्ट होता है कि किस तरह से बाढ़ के चलते कृषक मजदूर तथा अन्य पलायन कर रहे हैं।

समस्या का निदान :

यह हम जान चुके हैं कि बिहार में कृषक मजदूरों की समस्या ही उनके पलायन का कारण है। इसलिए जबतक हम उनकी समस्या का निदान कर नहीं लेते तबतक उनका पलायन पूर्ण रूप से रुक नहीं सकता।

उनकी समस्या का निदान निम्न रूप से कर सकते हैं:-

1. कृषि पर आश्रित उद्योगों

का विकास- बिहार में कृषक मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए ताकि कृषक मजदूर खाली समय में इन उद्योगों में काम कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर जीवन स्तर में सुधार ला सकें।

2. लघु एवं कुटीर उद्योगों

का विकास- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योगों के साथ-साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास भी किया जाना चाहिए जिससे कि भूमिहीन श्रमिक इस प्रकार के कार्यों में लग सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

3. न्यूनतम मजदूरी नियमों का उचित क्रियान्वयन- बिहार सहित भारत के सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू है जिनमें मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान

समस्या का निदान

- कृषि पर आश्रित उद्योगों का विकास
- लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास
- न्यूनतम मजदूरी नियमों का उचित क्रियान्वयन
- कार्य के घंटे को निश्चित करना
- कार्य दशाओं में सुधार
- मकानों का निर्माण
- कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना
- ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना
- कृषि मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था
- कृषि मजदूरों के लिए उचित संगठन की व्यवस्था
- सहकारी संस्थाओं की स्थापना
- शिक्षा का प्रसार
- भूदान

है। लेकिन इन अधिनियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है। इसके चलते उनको कम मजदूरी दी जा रही है। अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन उचित ढंग से किया जाए।

4. कार्य के घंटे को निश्चित करना- कृषक मजदूरों के कार्य के घंटे निश्चित किये जाने चाहिए। यदि मालिक इन निर्धारित घंटों से अधिक काम लेता है तो उन्हें अतिरिक्त मजदूरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

5. कार्य दशाओं में सुधार- कृषक मजदूरों के कार्य दशाओं में भी सुधार किया जाना चाहिए। उनको समय-समय पर छुट्टियाँ मिलनी चाहिए और यदि कार्य करते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो श्रमिकों को उचित सहायता दी जानी चाहिए।

6. मकानों का निर्माण- कृषक मजदूरों को रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कर उनको उपलब्ध किया जाना चाहिए।

7. कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना- गाँवों में प्रखण्ड स्तर पर कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि मजदूर अपनी चोट तथा बीमारी आदि का इलाज करा सके।

8. ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि रोजगार संबंधी सूचनाएँ कृषक मजदूरों को मिल सकें और वे शहरी क्षेत्रों में जाकर रोजगार प्राप्त कर सकें।

9. कृषि मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था- भूमि व्यवस्था में सुधार कर अतिरिक्त भूमि को कृषि मजदूरों को दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही बंजर भूमि या खाली भूमि को भी उचित प्रकार से खेती योग्य बनाकर इन कृषक मजदूरों में बाँटी जानी चाहिए।

10. कृषि मजदूरों के लिए उचित संगठन की व्यवस्था- कृषि मजदूरों के लिए एक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि मजदूरों का शोषण बन्द हो सके। वे अपनी बात कह सकें तथा सरकार से अपने लिए कल्याणकारी योजनाएँ लागू करवा सकें।

11. सहकारी संस्थाओं की स्थापना- ऐसी सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए जो मजदूरों को ऋण सुविधाएँ दे सकें और ऋण की वापसी किश्तों में ले सकें। इसके लिए व्याज दर भी कम होनी चाहिए।

12. शिक्षा का प्रसार— यह बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारे बिहार में कृषक मजदूरों के छोटे बच्चे आर्थिक हालत खराब होने के कारण स्कूलों में नहीं जाते हैं और भूमि के मालिक के गाय, बैल, भैंस आदि की देखभाल करते हैं। जब गाँवों में काम नहीं मिलता तो वे शहरों में जाकर होटलों में जूठे बर्तन साफ करते हैं। यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। अतः इन मासूम बच्चों से काम नहीं कराये जाएँ। शिक्षा का व्यापक प्रचार एवं प्रसार उनकी बहुत सी समस्याओं को हल करने में योगदान दे सकता है।

13. भूदान— आचार्य विनोबा भावे ने भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से एक **आंदोलन** चलाया जिसे **भू-दान** कहते हैं। उन्होंने बड़े-बड़े भूमिपति से अतिरिक्त भूमि माँगकर भूमिहीन मजदूरों को देने के लिए एक आंदोलन चलाया था। ऐसे इस योजना में बहुतों ने अपनी ऐसी जमीन दी जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस आंदोलन से कृषक मजदूरों में आत्म विश्वास तथा साहस बढ़ा है। अतः भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने के साथ ही साथ उन्हें उन्नत कृषि करने हेतु सभी आवश्यक साधनों जैसे— उन्नत बीज एवं खाद आदि की व्यवस्था की जाय।

सरकारी प्रयास :

हमारी सरकार ने कृषक मजदूरों की समस्याओं को हल (निदान) करने के लिए अनेक प्रयास किये हैं जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं—

- (i) **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948)** कृषि पर भी लागू कर दिया गया है। अतः बिहार सहित देश के सभी राज्यों में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय कर दी गयी है।
- (ii) **भूमिहीन मजदूरों को मकान** बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट (जगह) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **पंचवर्षीय योजनाओं** में व्यवस्था की गयी है।
- (iii) **जमींदारी प्रथा समाप्त** करने के चलते बहुत-सी भूमि अतिरिक्त बची थी जिसको इन भूमिहीन मजदूरों में बाँट दिया गया है। **भूदान आंदोलन** के अंतर्गत भी कुछ भूमि भूमिहीन मजदूरों में बाँटी गयी है।
- (iv) **1976 में आपातकाल** के समय एक अधिनियम बनाकर **बंधुआ मजदूर प्रथा** को **समाप्त** कर दिया गया। अब जो भूमिपति बंधुआ मजदूर को रखते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें दण्ड दिया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बंधुआ मजदूर रखने के कारण कितने **भूमिपति** गिरफ्तार हुए हैं।

- (v) जोत की सिलींग (उच्चतम निर्धारित सीमा) से बची हुयी भूमि, बंजर भूमि को कृषक मजदूरों के बीच वितरित किया जा रहा है।
- (vi) कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने कई ग्रामीण औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की हैं।
- (vii) इन्हें वित्तीय सुविधा देने के लिए कृषि सेवा समितियों की स्थापना की गयी है।
- (viii) भूमिहीन मजदूरों को पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न राज्यों ने कानून बनाये हैं।
- (ix) केन्द्रीय सरकार ने कृषक मजदूरों के लिए एक स्थायी समिति की नियुक्ति की है।
- (x) इसी तरह सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम शुरू की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार तथा वृद्धि करना है।
- (xi) बाल श्रमिक निरोधक अधिनियम के द्वारा कृषक मजदूरों के बच्चों के शोषण को कानूनी अपराध घोषित किया गया है।
- (xii) इसके अलावे, हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में कृषक मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किये हैं।

सारांश :

इस अध्याय में हमने कृषक मजदूर के बारे में चर्चा किया है कि कृषक मजदूर किसे कहेंगे? कृषक मजदूर कितने प्रकार के होते हैं? बिहार में कृषक मजदूरों की क्या समस्याएँ हैं? बिहार में कृषक मजदूरों का पलायन क्यों हो रहा है? कृषक मजदूरों की समस्या का निदान कर पलायन को रोका जा सकता है। इसके लिए हमने अनेक सुझाव दिए हैं और हमारी सरकार जो उपाय की है उसके बारे में भी हमने वर्णन किया है।

सरकार द्वारा कृषक मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी दिशा तो ठीक है लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में तीन बातें ध्यान देने की हैं—

- (i) सरकार ने जो कदम उठाए हैं उन्हें तेजी से बढ़ाया तथा फैलाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषक मजदूरों को लाभ पहुँचाया जा सके।
- (ii) इन कार्यक्रमों के लिए अधिक राशि प्राप्त की जानी चाहिए ताकि साधन का अभाव इसके रास्ते में अड़चन न पैदा करे।
- (iii) इन कार्यक्रमों को बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सही तरीके से इसे लागू करने के लिए समुचित तथा कुशल प्रबन्ध किया जाना भी जरूरी है।

छोटे उद्योगों को ग्रामीण जीवन में अपनाकर स्थायी सुधार की आशा की जा सकती है। भूमि की भूख बढ़ाने की नीति भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से ठीक नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं है कि भूमिहीन मजदूरों को भूमि पर ही बसाया जाए। कृषक मजदूर वर्ग को भूमि के बजाय रोजगार देने की जरूरत है। उचित तो यह होगा कि वैज्ञानिक कृषि को अपनाकर भूमि पर बढ़ते हुए जनसंख्या के भार को घटाया जाए तथा अतिरिक्त जनसंख्या को पूँजी निर्माण कार्यों की ओर ले जाया जाए जिससे आर्थिक विकास हो सके तथा बेकार श्रम-शक्ति उत्पादक बन सके। बाँध बनाना, मिट्टी की रक्षा के कार्य, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, नहरें निकालना इत्यादि कार्यों में गाँवों की विशाल श्रम-शक्ति को लगाना चाहिए। रोजगार के अवसर प्रदान कर तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को बिहार के सभी जिलों में उचित ढंग से अपनाकर बिहार के कृषक मजदूरों के पलायन को रोका जा सकता है तथा कृषक मजदूरों की हालत में सुधार लाया जा सकता है। इस संदर्भ में कृषि सुधार समिति (Agricultural Reform Committee) ने ठीक ही कहा था— “कृषि सुधार की किसी भी योजना में कृषि मजदूरों की समस्या को शामिल न करना देश की कृषि-व्यवस्था में एक भयंकर घाव को बिना मरहम-पट्टी के छोड़ देने के समान है।”

अभ्यास :

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग, घ) लिखें।

1. 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी—

(क) 48% (ख) 42% (ग) 52% (घ) 26.5%

2. 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी—

(क) 26.1% (ख) 37.1% (ग) 26.5% (घ) 37.8%

3. बिहार के कृषक मजदूर हैं—

(क) अशिक्षित (ख) शिक्षित (ग) ज्ञानी (घ) कुशल

4. सामान्यतः कृषक मजदूर को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है—

(क) तीन (ख) दो (ग) चार (घ) पाँच

5. ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है उन्हें कहते हैं—

(क) छोटा किसान (ख) बड़ा किसान
(ग) भूमिहीन मजदूर (घ) जमींदार

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. जो मजदूर कृषि का कार्य करते हैं उन्हें हम मजदूर कहते हैं।
2. क्वेसने ने कहा था कि— दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र ।
3. बिहार में अधिकांश कृषक मजदूर एवं पिछड़ी जातियों के हैं।
4. बिहार में अब कृषि कार्यों में का प्रयोग होने लगा है।
5. बिहार के कृषक मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर कर रहे हैं।

परियोजना कार्य (Project Work) :

1. अपने गाँव के 10 कृषक मजदूर परिवारों का आर्थिक सर्वेक्षण करें।
2. पलायन कर रहे किसी एक परिवार की कहानी लिखें।
3. पलायन कब, कहाँ और कैसे होता है? उस पर एक संक्षिप्त नुक्कड़ एवं नाटक प्रसिद्ध लोकगीतकार भिखारी ठाकुर के संदर्भ में प्रस्तुत करें।

संदर्भ :

- ❁ बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2006-07
- ❁ भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2005-06
- ❁ कृषि विभाग, बिहार सरकार
- ❁ भारत की जनगणना, 2001
- ❁ भारतीय अर्थव्यवस्था— रूद्र दत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम्
- ❁ भारत की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण— देवेन्द्र प्रसाद सिंह
- ❁ भारतीय अर्थव्यवस्था— भगवान प्रसाद सिंह
- ❁ योजना— मासिक पत्रिका
- ❁ N.C.E.R.T.— वर्ग IX— अर्थशास्त्र
- ❁ कुरुक्षेत्र— मासिक पत्रिका